# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर–15)

क्रमांक : एफ–13( ) अति. आयुक्त/जननिग्रे/2024/ 336 दिनांक:– 23/07/24

## भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति (बी.पी.सी.)
## बैठक दिनांक 12.07.2024 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 12.07.2024 को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर मुख्यालय की आयोजना शाखा में संचालित विभिन्न उपविभाजन, पुनर्गठन एवं भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निस्तारण हेतु भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक श्री जितेन्द्र श्रीमाली की अध्यक्षता में अपराह्न 3:00 बजे नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया गया जिसके पश्चात् बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अपना–अपना परिचय दिया गया। कार्यालय में प्रक्रियाधीन एवं भविष्य में लगाए जाने वाले भवन निर्माण स्वीकृति, उपविभाजन एवं पुनर्गठन से संबंधित आवेदनों के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों द्वारा निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया :–

1. बैठक में उपस्थित उपायुक्त आयोजना–प्रथम द्वारा यह अवगत कराया गया कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार एलएसजी ऑनलाईन सर्विसेज पोर्टल पर उपविभाजन एवं पुनर्गठन से संबधित पत्रावलीयों का निस्तारण किया जाता है। उक्त पोर्टल पर केवल उपायुक्त के द्वारा ही पत्रावलीयां संबंधित अधिकारी के पास प्रेषित की जा सकती है (इस संबंध में अन्य कोई विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।) जिससे की पत्रावलीयों के निस्तारण में समय लगता है। उक्त विषय पर विचार–विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाईन पोर्टल पर फाईल मूवमेंट में बदलाव लाया जावें जिसका प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जावेंगा जिससे कि संबंधित पत्रावलीयां बार–बार उपायुक्त के पास न जावें बल्कि सीधे ही संबंधित अधिकारी के पास प्रेषित की जा सकें। उक्त संदर्भ में प्रोग्रामर सेल को अवगत करवाए जाने के निर्देश दिए गए।
2. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि मुख्यालय स्तर पर निस्तारण किए जाने वाले उपविभाजन, पुनर्गठन एवं भवन निर्माण स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों में आवेदन प्राप्त होने के उपरांत 2 माह से अधिक लंबित प्रकरणों को आवश्यक रूप से बी.पी.सी. की बैठक में प्रस्तुत किया जावें जिससे कि पत्रावलीयों का निस्तारण समय से किया जा सकें एवं आमजन को राहत प्रदान की जा सकें।
3. अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से विचार–विमर्श पश्चात् यह निर्देश दिए गए कि बी.पी.सी. की बैठक आयोजित होने से पूर्व बैठक के सभी सदस्यों को बी.पी.सी. बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध करवायी जावें जिससे कि सभी सदस्यों को प्रकरणों के संबंध में अध्ययन हेतु उचित समय प्राप्त हो सकें।
4. अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से विचार–विमर्श पश्चात् यह निर्देश दिए गए कि उपविभाजन, पुनर्गठन एवं भवन निर्माण स्वीकृति से संबंधित पत्रावलीयों को दस्तावेजों की कमी होने के कारण निरस्त करने से पूर्व आवेदक को सूचित कर दस्तावेज पूर्ति की कार्यवाही की जावें एवं दस्तावेजों की पूर्ति नहीं होने पर नियमानुसार पत्रावली का निस्तारण किया जावें।
5. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बी.पी.सी. की बैठक 1 माह में 2 बार (लगभग 15 दिवस के अन्तराल में) आवश्यक रूप से आयोजित की जावेंगी जिससे कि पत्रावलीयों का निस्तारण समय से किया जा सकें एवं आमजन को राहत प्रदान की जा सकें।
6. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देश दिए गए कि बी.पी.सी. की बैठक में जोन उपायुक्त को भी बुलाया जावें एवं प्राथमिकता के आधार पर, जिस जोन कार्यालय के सर्वाधिक लंबित प्रकरण है, उस कार्यालय के उपायुक्त को बुलाया जावें जिसका निर्धारण बी.पी.सी. बैठक का दिनांक निश्चित करने से पहले अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से किया जावें।
7. बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सदस्यों के संज्ञान में पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण लाए गए जिसके संदर्भ में अध्यक्ष

महोदय द्वारा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरणों की समय–समय पर समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए गए। इस हेतु उपायुक्त आयोजना–प्रथम को प्राप्ति सूचना (Acknowledgement) जारी किए जाने से पूर्व प्रकरणों की तकनीकी जांच आयोजना–शाखा के तकनीकी अधिकारीयों से कराये जाने एवं पूर्व में वास्तुविद् द्वारा जारी अनुज्ञा के प्रकरणों जिनमें प्राप्ति रसीद जारी की जा चुकी है, उन प्रकरणों की तकनीकी समीक्षा कराए जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यालय आदेश जारी किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रकरणों के नियमानुसार होने की पृष्टि करवायी जावें तथा आगामी बैठक में न्यूनतम 10 प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के भी निर्देश दिए गए।

8. बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा आपसी सहमति के साथ यह निर्णय लिया गया कि उपविभाजन एवं पुनर्गठन के प्रकरणों में सैटबैक में यदि निर्माण है तो उक्त प्रकरणों में स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व सैटबैक में विद्यमान निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु आवेदक को सूचित किया जावें। तद्उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/स्पष्टीकरण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के क्रम में परिक्षण कर प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।
9. बी.पी.सी. की बैठक में प्रस्तावित प्रकरणों के अलावा अन्य 4 पत्रावलीयां चर्चा हेतु प्रस्तुत की गई थी। उक्त पत्रावलीयों के सभी आवेदकों को अध्यक्ष महोदय द्वारा बी.पी.सी. की बैठक में बुलाया गया एवं उनके पक्ष को भी अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों द्वारा सुना गया जिसके पश्चात् चर्चा हेतु रखी गई सभी पत्रावलीयों का नियमों के संदर्भ में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार के आदेशों/परिपत्रों के अनुसार तकनीकी परिक्षण कर त्वरित निस्तारण किए जाने का निर्णय लिया गया।
10. बी.पी.सी. की बैठक में प्रस्तावित प्रकरणों में समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् लिए गए निर्णय निम्नानुसार है :–

**प्रस्ताव सं0–1**

**भू0 सं0** :–1,2,3,4,5 एवं 6 गुलमोहर लेन (गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.) के पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्रीमती रजनी तनेजा पत्नी श्री कपिल तनेजा, श्री अंकुर तनेजा पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश तनेजा, श्री कपिल तनेजा पुत्र श्री चन्द प्रकाश तनेजा एवं श्रीमती गरिमा तनेजा पत्नी श्री अंकुर तनेजा

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक होने के कारण प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठित भू0 सं0 –1,2,3,4,5 एवं 6, गुलमोहर लेन क्षेत्रफल 3171.10 व.ग. में से भू0 सं0–1 क्षेत्रफल 777.95 व.ग., भू0 सं0–2 क्षेत्रफल 423.99 व.ग. का उपविभाजन एवं भू0 सं0–3,4,5,6 क्षेत्रफल 1969.16 व.ग. का उपविभाजन पश्चात् पुनर्गठन स्वीकृत किए जाने हेतु अनुशंषा के साथ प्रकरण को समस्त तथ्यों मय चैकलिस्ट के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–2**

**भू0 सं0** :– 62, 63 (पश्चिमी भाग) 66 (पश्चिमी भाग) एवं 67 परमानन्द नगर (लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स.) के उपविभाजन/ पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–मैसर्स विनायक रियल एस्टेट जरिये प्रोपराइटर श्री दानाराम पुत्र श्री नारायण राम

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में समिति के सदस्य श्री शेर सिंह धाकड़ द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड न्यायायिक विवाद से प्रभावित है।
उपरोक्त के संबंध में आवेदक को सूचित किया जावें, यदि प्रकरण में कोई न्यायायिक विवाद पाया जाता है तो पत्रावली को जांच हेतु विधिक शाखा में प्रेषित किया जावें अन्यथा नियमानुसार परिक्षण कर समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण का एजेण्डा संशोधन सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।

**प्रस्ताव सं0–3**

**भू0 सं0** :– (63 पूर्वी भाग), 64–ए, 64–बी, 65 एवं 66 (पूर्वी भाग) परमानन्द नगर (लक्ष्मी नगर गृ.नि.स.स.) के उपविभाजन/पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :– मैसर्स विनायक रियल एस्टेट जरिये प्रोपराइटर श्री भंवर लाल पुत्र श्री दानाराम

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में समिति के सदस्य श्री शेर सिंह धाकड़ द्वारा यह संज्ञान में लाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड न्यायायिक विवाद से प्रभावित है।
उपरोक्त के संबंध में आवेदक को सूचित किया जावें, यदि प्रकरण में कोई न्यायायिक विवाद पाया जाता है तो पत्रावली को जांच हेतु विधिक शाखा में प्रेषित किया जावें अन्यथा नियमानुसार परिक्षण कर समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण का एजेण्डा संशोधन सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–4**

**भू0 सं0** :–ओ–3, सी–स्कीम, जयपुर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्रीमती श्यामा शारदा, श्री रमन शारदा एवं श्री राहुल शारदा

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

1. प्रश्नगत प्रकरण में आस–पास के भूखण्डों पर पूर्व में जारी भवन मानचित्र अनुमोदन/उपविभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों में स्वीकृत सैटबैक को ध्यान में रखते हुए तथा भवन विनियम में उक्त योजना के ''ओ'' ब्लॉक हेतु अनुसूची–5 में निर्धारित 40'–0'' अग्र सैटबैक के अनुसार प्रकरण में हॉस्पिटल रोड की ओर अग्र सैटबैक 40'–0'' एवं पश्चिमी दिशा की तरफ सैटबैक 30'–0'' निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण में भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500.00 व.ग. से अधिक होने के कारण प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार उपविभाजन स्वीकृत किए जाने की अनुशंषा के साथ प्रकरण को अनुमोदन हेतु समस्त तथ्यों एवं निर्धारित चैकलिस्ट के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–5**

**भू0 सं0** :– 33, 34,42 एवं 43 डॉक्टर्स कॉलोनी, (गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.) के पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :– श्री हनुमान प्रसाद चौधरी पुत्र श्री नाथू लाल चौधरी

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड के अग्र एवं अन्य सैटबैक में निर्माण निर्मित है। भूखण्ड के सैटबैक में निर्मित निर्माण के संबंध में आवेदक को स्पष्टीकरण हेतु सूचित किया जावें। यदि आवेदक द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सैटबैक में निर्मित निर्माण को हटा दिया जाता है तो समस्त दस्तावेजों एवं शुल्क की पूर्ति के उपरांत पुनर्गठन स्वीकृति जारी की जावें अन्यथा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–6**

**भू0 सं0** :– 135, बरकत नगर (न्यू पिंकसिटी गृ.नि.स.स.) के सैटबैक निर्धारण करते हुए उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– प्रकरण में आवेदक द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों में संलग्न उपहार पत्र के अनुसार उपविभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के उत्तरी ओर 9'–3'' चौड़ा कॉमन पैसेज है जो कि पहुंच मार्ग के रूप में उपलब्ध है। उपविभाजन नियमों के अनुसार भूखण्ड को न्यूनतम 10'–0'' चौड़ा ऐक्सेस होना आवश्यक है। अतः प्रकरण में उपविभाजन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड को 10'–0'' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार प्रकरण को निरस्त किया जाता है।

**प्रस्ताव सं0–7**

**भू0 सं0** :– 5, विवेकानन्द मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्री अनुपम मदन पारीक पुत्र स्वं. श्री मदनमोहन पारीक

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर 55'–0'' अग्र सैटबैक छोड़कर आवासीय भवन निर्मित है एवं मूल भूखण्ड के स्थल मानचित्र व योजना मानचित्र में सैटबैक अंकित नहीं है। अतः प्रकरण में आस–पास के भूखण्डों पर पूर्व में जारी पट्टों/निर्माण स्वीकृति/उपविभाजन एवं पुनर्गठन

स्वीकृति से जांच करते हुए मौके पर विद्यमान भवन रेखा का परिक्षण करने के पश्चात् सैटबैक के संबंध में समस्त तथ्यों एवं तकनीकी जांच के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–8**

**भू0 सं0** :–बी–73, गांधी नगर जयपुर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्रीमती मुक्ता राठी पत्नी श्री नरेन्द्र राठी एवं श्री रजत माहेश्वरी पुत्र श्री मनीष माहेश्वरी

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अप्रमाणित सजरा पेश किया गया है जो कि अमान्य है। अतः प्रकरण में स्वामित्व के संबंध में सक्षम स्तर से जारी सजरा पेश किए जाने हेतु आवेदक को सूचित किया जावें। आवेदक द्वारा सजरा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् परिक्षण उपरांत सजरा सही पाये जाने पर समस्त तथ्यों के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–9**

**भू0 सं0** :–सी–138, बापू नगर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्री लोकेश दत्त माथुर, श्री राजेश दत्त माथुर एवं श्री योगेश दत्त माथुर पुत्रांन् स्वं. श्री विजय दत्त माथुर

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भू0 सं0 सी–138–ए/बी के पीछे के सैटबैक में निर्माण निर्मित है। भूखण्ड के सैटबैक में निर्मित निर्माण के संबंध में आवेदक को स्पष्टीकरण हेतु सूचित किया जावें। यदि आवेदक द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सैटबैक में निर्मित निर्माण को हटा दिया जाता है तो समस्त दस्तावेजों एवं शुल्क की पूर्ति के उपरांत उपविभाजन स्वीकृति जारी की जावें अन्यथा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–10**

**भू0 सं0** :–बी–91, मोंती डूंगरी योजना के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्री प्रकाश कुमार बैद, श्री विनोद कुमार गुप्ता एवं श्रीमती पूनम गुप्ता

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

1. प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भू0 सं0 बी–91–ए (उत्तरी–पूर्वी भाग) के अग्र सैटबैक में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों के प्रावधानों के विपरीत है। अतः मूल भू0 सं0 बी–91, मोंती डूंगरी में से भू0 सं0 बी–91–ए (उत्तरी–पूर्वी भाग) का उपविभाजन निरस्त किया जाता है एवं सैटबैक में किए जा रहे निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु जोन कार्यालय को पाबंद किया जावें।
2. प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार भू0 सं0 बी–91–ए (दक्षिणी भाग) के सैटबैक में निर्माण निर्मित है। भूखण्ड के सैटबैक में निर्मित निर्माण के संबंध में आवेदक को स्पष्टीकरण हेतु सूचित किया जावें। यदि आवेदक द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सैटबैक में निर्मित निर्माण को हटा दिया जाता है तो समस्त दस्तावेजों एवं शुल्क की पूर्ति के उपरांत उपविभाजन स्वीकृति जारी की जावें अन्यथा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–11**

**भू0 सं0** :–1,2,3,4 एवं 5, झोटवाड़ा (गुलाबबाड़ी गृ.नि.स.स.) के पुनर्गठन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर सिंह चौधरी

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में पत्रावली में संलग्न कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रमाणित पी.टी. सर्वे के अनुसार आवेदक द्वारा सड़क मार्गाधिकार पर अतिक्रमण किया गया है जिसे हटाए जाने हेतु आवेदक को सूचित किया जावें। यदि आवेदक द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अतिक्रमण हटा लिया जाता है तो समस्त दस्तावेजों एवं शुल्क की पूर्ति के उपरांत पुनर्गठन स्वीकृति जारी की जावें अन्यथा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

**प्रस्ताव सं0–12**

**भू0 सं0** :–सी–129, मोंती डूंगरी स्कीम के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

**आवेदक** :–1. श्रीमती पदमा कामरा पत्नी श्री अविनाश कामरा

2.श्री अविनाश कामरा पुत्र श्री वासुदेव कामरा

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :–

1. प्रकरण में भू0 सं0 सी–129, मोंती डूंगरी क्षेत्रफल 688.88 व.ग. में से भू0 सं0 सी–129–ए (पूर्वी भाग) क्षेत्रफल 344.44 व.ग. एवं भू0 सं0 सी–129 (पश्चिमी भाग) क्षेत्रफल 344.44 व.ग. का उपविभाजन अनुमोदित किया जाता है।
2. प्रकरण में समस्त शुल्क एवं दस्तावेजों की पूर्ति के पश्चात् उपविभाजन स्वीकृति पत्र एवं मानचित्र जारी किए जावें।

**प्रस्ताव सं0–13**

भू0 सं0 :–बी–68, बापू नगर के उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

आवेदक :–श्री गुल.बी. आडवाणी पुत्र स्वं. श्री बी.बी. आड़वानी

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिया गया :– '' प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के साइड एवं पीछे के सैटबैक में निर्माण निर्मित है। भूखण्ड के सैटबैक में निर्मित निर्माण के संबंध में आवेदक को स्पष्टीकरण हेतु सूचित किया जावें। यदि आवेदक द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सैटबैक में निर्मित निर्माण को हटा दिया जाता है तो समस्त दस्तावेजों एवं शुल्क की पूर्ति के उपरांत उपविभाजन स्वीकृति जारी की जावें अन्यथा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।''

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

श्री जितेन्द्र श्रीमाली
अध्यक्ष

श्री रवि राय वर्मा
अति0 मुख्य नगर नियोजक
विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री जनार्दन शर्मा
उपायुक्त आयोजना प्रथम
सदस्य सचिव

श्री सुरेश जांगिड़
. सदस्य

श्री बाबूलाल शर्मा
. सदस्य

श्री शेर सिंह धाकड़
सदस्य

श्री इन्द्र प्रकाश धाबाई
सदस्य

(अनुउपस्थित)
श्री मुकेश शर्मा
सदस्य

श्री महेन्द्र शर्मा
. सदस्य

श्री विजय गर्ग
. सदस्य

(अनुउपस्थित)
श्री राजकुमार चौधरी
सदस्य

(अनुउपस्थित)
श्री राजेन्द्र चौधरी उर्फ भीम सिंह
सदस्य